

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण कमांक 06/2015 वैवाहिक

रवि कुशवाह पुत्र जोगेन्द्र सिंह कुशवाह, आयु 19
साल व्यवसाय मजदूरी, निवासी गांधी नगर, वार्ड
कमांक 16 मण्डी तिराहे के पास गोहद जिला
भिण्ड म0प्र0

-----चायिका कर्ता/आवेदक
बनाम

श्रीमती पिन्की कुशवाह पत्नी श्री रवि कुशवाह व
पुत्री श्री तुलाराम कुशवाह आयु 18 साल,
व्यवसाय गृहकार्य, निवासी हाल मोतीझील
पहाडिया, नई बस्ती थाना पुरानी छावनी जिला
ग्वालियर म0प्र0

-----गैरयाचिका कर्ता/अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री डी0एस0भदौरिया अधिवक्ता
अनावेदिका एकपक्षीय

//नि र्ण य//
// आज दिनांक 16-5-2015 को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत
धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें
अनावेदिका/गैरयाचिका कर्ता जो कि उसकी विवाहित पत्नी है उसे दाम्पत्य अधिकारों की
पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।

02. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से
है कि उसका विवाह गैरयाचिका कर्ता के साथ दिनांक 6-5-13 को हिंदू रीति रिवाज के

अनुसार मोतीझील पहाडिया नई बस्ती ग्वालियर में सम्पन्न हुआ था तभी से अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है । विवाह उपरांत अनावेदिका आवेदक के साथ गोहद आकर रही और आवेदक ने अनावेदिका को अपने साथ अच्छी तरह से रखा भरण पोषण किया तथा अपना दाम्पत्य धर्म निभाया । दिनांक 3-11-14 को अनावेदिका का नावालिग भतीजा उसे लेने आया था तब आवेदक ने उससे कहा कि तुम अपने दादा जी को लिवा लाओ मैं पिंकी को आपके साथ भेज दूंगा इसी बात पर अनावेदिका पिंकी बोली कि वह तो अपने भतीजे के साथ ही जायेगी और उसने आवेदक तथा उसकी मां रामवती को मां वहन की गालियां दी । जब उसकी मां ने अनावेदिका को तमीज से बात करने की हिदायत दी तो वह छत से कूदकर आत्महत्या कर लेने के लिये दौड़कर छत पर चढ़ गई बड़ी मुश्किल से आवेदक व उसकी मां ने उसे पकड़ा तो अनावेदिका ने आवेदक व उसकी मां में लात घूसे दे डाले और उसी समय फोन करके अपने पिता को बुलवा लिया तो अनावेदिका के पिता तुलाराम ने भी आवेदक व उसकी मां को तथा पिता को गाली गलोच कर अपशब्द कहे और आवेदक व उसके परिवारजनों को दहेज के केश में फसवाकर जेल भिजवाने की धोंस दी । अनावेदिका के पिता तुलाराम ने अनावेदिका से कहा कि तू अपना सम्पूर्ण सोने चांदी का जो भी जेवर है उसे ले ले और चल तब अनावेदिका ने अपने पिता के कहे अनुसार अपना सारा जेवर अलमारी से निकाला और बड़बड़ाती हुयी अपने पिता और भतीजे के साथ जेवर लेकर चली गयी तभी से वह बिना किसी उचित कारण के अपने मायके में निवास कर रही है । इस प्रकार आवेदक को पत्नी सुख से बंचित किया गया है। आवेदक का निवास स्थान गोहद में है इस कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अंतर्ग होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्ली प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

03. अनावेदिका न्यायालय के द्वारा रजिस्टर्ड समंस जारी किए जाने के उपरांत उसके द्वारा रजिस्टर्ड समंस लेने से इंनकार किया गया। जिस कारण उसके विरुद्ध दिनांक 15-4-15 को उसके अनुपस्थित होने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

04. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि—

क्या आवेदक अनावेदिका के साथ वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करा पाने का अधिकारी है ?

—::सकारण निष्कर्ष::—

05. आवेदक रवि कुशवाह आवेदक साक्षी क01 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में शपथपत्र में किये गये अभिवचनों का समर्थन करते हुये बताया है कि दिनांक 6-5-13 को

हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार मोतीझील पहाडिया नई बस्ती ग्वालियर में सम्पन्न हुआ था। विवाह के उपरांत अनावेदिका पत्नी के रूप में उसके यहां रही जिसे उसने अच्छी तरह से रही और दाम्पत्य जीवन निर्वाह किया। दिनांक 3-11-14 को मायके जाने के संबंध में अनावेदिका के द्वारा आवेदक की माँ को गाली गलोज किया गया और छत से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देते हुए और उसे बचाने पर उसके द्वारा लात घूसों से मारपीट की गई तथा फोन कर अपने पिता को बुला लिया और पिता के द्वारा भी उन्हें धमकी दी गई। इसके पूर्व भी अनावेदिका दिनांक 20.09.14 को आवेदक की माँ एवं उनकी भाभियों से लडझगड कर अपने मन से अपने मायके चली गई थी। तत्पश्चात् अनावेदिका अपने जेबर आदि लेकर के अपने मायके चली गई और तब से मायके में रहने लगी। उक्त संबंध में पुलिस थाना गोहद में भी शिकायत की गई थी। बाद में ग्वालियर न्यायालय में आवेदनपत्र पेश करने पर और आवेदिका के द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर कि वह उसके साथ रहेगी दिनांक 16.07.14 को समझौते उपरांत उसके यहाँ आई। इसके उपरांत पुनः दिनांक 03.11.14 को वह बिना किसी उचित कारण के बिना सहमति व अनुमति के मायके चली गई है। जो कि दिनांक 03.11.14 से अपने मायके में बिना उचित कारण के रह रही है। इस संबंध में आवेदक के द्वारा ग्वालियर में चल रहे आदेश पत्रिका दिनांक 16.07.14 के आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 1 तथा आवेदनपत्र प्र.पी. 2 और पुलिस थाना गोहद में की गई रिपोर्ट प्र.पी. 3 व 4 पेश की गई है।

06. आवेदक के द्वारा उपरोक्त संबंध में किया गया कथन का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। यद्यपि जेबर एवं नगदी के संबंध में जो कि आवेदक अनावेदिका के द्वारा अपने साथ ले जाना बता रहा है। उक्त जेबर और नगदी आवेदिका के पास होने के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं है। ऐसी दशा में जेबर एवं नगदी अनावेदिका के द्वारा ले जाना एवं उसके पास होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता। किन्तु जहां तक अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है एवं दिनांक 20-2-14 से अनावेदक के साथ उसके न रहने और साथ में रहने से उसके द्वारा इन्कार किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में साक्षी का कथन विश्वास योग्य पाया जाता है।

07. आवेदक के द्वारा उपरोक्त संबंध में किये गये कथन की संपुष्टि आवेदक साक्षी जोगेन्द्र सिंह साक्षी क्रं02 एवं उदलसिंह साक्षी क्रं03 के कथन से भी होती है। जिसके द्वारा भी यह बताया जा रहा है कि अनावेदिका आवेदक से लड झगडकर अपने पिता एवं भतीजे के साथ अपने मायके चली गयी है तब से वह वापिस नहीं आयी है और उसे लाने के लिये कई बार प्रयास किया गया लेकिन उसके द्वारा आवेदक के साथ आने से इन्कार किया गया है। इस संबंध में उपरोक्त साक्षी के द्वारा किया गया कथन प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डनीय रहा

है। यद्यपि जेवर और नगदी के संबंध में कोई दस्तावेज प्रमाण न होने के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में किया गया कथन दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में प्रमाणित नहीं पाया जाता । किन्तु शेष तथ्य के संबंध में साक्षी को विश्वास योग्य माना जाता है ।

08. इस प्रकार प्रकरण में आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि अनावेदिता आवेदक की विवाहिता पत्नी है। अनावेदिका के द्वारा आवेदक की विवाहित पत्नी होने के उपरान्त भी उसके साथ वैवाहिक दाम्पत्य संबंधों की स्थापना नहीं की जा रही है और वह बिना किसी उचित कारण के अपने मायके में रह रही है और आवेदक को दाम्पत्य सुखों से वंचित किए है।

09. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

1-अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहित पत्नी है, के साथ आवेदक के साथ पत्नी धर्म का पालन एवं दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे।

2-प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेंगे।

3-अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सूची मुताविक जो भी हो दी जावे।

तदनुसार आज्ञा तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थूपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी0सी0थूपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड